बेतिया

आदेश-फलक

न्यायालय, उप समाहर्ता भूमि सुधार, बेतिया

वाद सं०- 233/2011-12, लगंड परेत बनाम सखत मोराली

केस का प्रकार - बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
15/09/12	प्रस्तुत वाद आवेदक लंगड परेत के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, बिहार को समर्पित आवेदन से प्रारंभ है। आवेदक ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है अंचल-चनपटिया के ग्राम- बिजबनिया स्थित मेरी जमीन जिसका रकबा 14 धुर 9 कट्ठा है को विपक्षी ने कब्जा कर लिया है। आवेदक के आवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष अपने-अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना पक्ष रखा। आवेदक ने अपने तर्क एवं लिखित जवाब में उल्लेख किया है कि (1) प्रश्नगत भूमि ग्राम- बिजबनिया का खाता सं०- 30 के अंतर्गत खेसरा सं०- 367, 407, 413, 458, 420 का कुल रकबा 2 बिगहा 18 कट्ठा 08 धुर है। यह भूमि आवेदक की खतियानी भूमि है जिसे विपक्षी ने बेदखल कर कब्जा कर लिया है।	

आदेश-फलक

न्यायालय, उप समाहर्ता भूमि सुधार, बेतिया

वाद सं०-

केस का प्रकार -

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
(ii)	इसी प्रश्नगत भूमि के स्वत्व विवाद के निपटारा हेतु आवेदक के द्वारा एक स्वत्ववाद सं० - 183/2010 व्यवहार न्यायालय में दायर किया गया है जो विचाराधीन है।	
	आवेदक के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर आवेदक को दखल कब्जा दिलाने का अनुरोध न्यायालय से किया गया है।	
	विपक्षी ने अपने तर्क, लिखित बयान एवं समर्पित कागजातों के माध्यम से उल्लेख किया है कि	
(i)	आवेदक का आवेदन तथ्य से परे एवं विपक्षी को परेशान करने की नीयत से समर्पित है।	
(ii)	प्रश्नगत भूमि से जुड़ा एक स्वत्ववाद व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन है लेकर एक साथ दो न्यायालयों में सुनवाई किया जाना विधिसंगत नहीं है यह स्वत्ववाद भी आवेदक के द्वारा ही लाया गया है।	
(iii)	विपक्षी को यह भूमि भूतपूर्व जमींदार के द्वारा की गई बंदोबस्ती तथा विभिन्न न्यायालयों से पारित आदेश से प्राप्त	

आदेश-फलक

न्यायालय, उप समाहर्ता भूमि सुधार, बेतिया

वाद सं०-

केस का प्रकार -

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
	एवं संपुष्ट हो। विपक्षी ने अपने पक्षों के समर्थन में खेसरावी दस्तावेज एवं विभिन्न न्यायालयों के पारित आदेश की छायाप्रति समर्पित करते हुए आवेदन का आवेदन को निरस्त करने का अनुरोध किया है। उभय पक्षों के तर्कों को सुनने तथा लिखित जवाब एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के पर्यवेक्षण से यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि	
(i)	आवेदक ने अपने दावों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य या कागजात समर्पित करने में असफल रहे हैं।	
(ii)	आवेदक के द्वारा व्यवहार न्यायालय में एक स्वत्ववाद भी दायर किया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन है। एक ही मामले में एक ही समय दो न्यायालयों में ~~[illegible]~~ वाद का विचारण किया जाना सर्वथा अनुचित एवं विधिविरुद्ध होने के कारण तथा आवेदक के द्वारा अपने दावों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य या कागजात उपलब्ध नहीं कर पाने के कारण वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।	

15/9/12
भूमि सुधार उप समाहर्ता